

जल कानून

केंद्र द्वारा अधिनियम



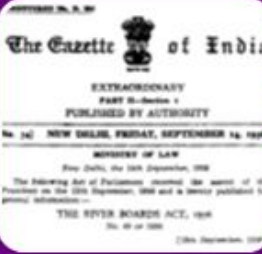
भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882

- हर जमीन मालिक को भूमि के नीचे का सारा जल उपयोग करने का अधिकार। यह प्रभावी रूप से भूजल को एक निजी संपत्ति बनाता है।



दामोदर घाटी नियम, 1948

- भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत पारित किया गया।
- दामोदर नदी बेसिन और बाढ़ नियंत्रण के एकीकृत विकास के लिए दामोदर घाटी निगम (DVC) की स्थापना के लिए।



नदी बोर्ड अधिनियम, 1956

- अंतर-राज्य नदियों तथा नदी घाटियों के एकीकृत और इष्टतम विकास को बढ़ावा देने के लिए नदी बोर्डों की स्थापना के लिए।
- इस अधिनियम के तहत कोई नदी बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है।
- जल संसाधन मंत्रालय ने इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए 2012 में एक समिति गठित की है जिसने नए कानून लागू करने की सिफारिश की है।



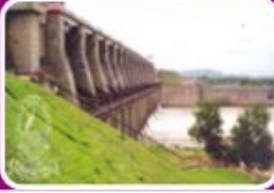
अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956

- संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत अधिनियमित।
- अंतर-राज्य नदियों से संबंधित विवादों के फैसले के लिए जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए प्रदान करता है जब वार्ताएं फलस्वरूप परिणाम नहीं देती हैं।
- मार्च 2017 में लोकसभा में एक विधेयक का विमोचन किया गया ताकि विवादों को शीघ्रता से सुलझाने के लिए केंद्र में एक स्थायी जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित किया जा सके।



जल (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974

- जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए, और पानी की संपूर्णता को बनाए रखने या बहाल करने के लिए।
- केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना।



बेतवा रिवर बोर्ड अधिनियम, 1976

- राजघाट बांध और पावर हाउस के निर्माण के लिए। वर्तमान में, यह राजघाट के संचालन और रखरखाव को देख रहा है।



जल (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) कर अधिनियम, 1977

- कुछ प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को संचालित करने और ले जाने के लिए व्यक्ति द्वारा खपत पानी पर कर वसूली और संग्रह के लिए।



ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980

- ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ और नदी के किनारे के क्षरण के नियंत्रण के उपायों के नियोजन और एकीकृत कार्यान्वयन के लिए।
- इस अधिनियम में व्यापक संशोधन पर विचार किया जा रहा है।



पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

- सुरक्षा और पर्यावरण के सुधार के लिए। अपने सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का एक जनादेश के साथ प्राधिकरणों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करना।

अगला अध्याय >>
संस्थागत व्यवस्था